न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 30/2024(GCMS : 2024/53)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर,फेज–II स्पेन्सर प्लाजा नं. 769, माउण्ड रोड़, अन्ना सलाई, चैन्नई–600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय–होटल एप्पल ईन के सामने,निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर–302019, मोबाईल नं. 95299–28841, ई–मेल : jitendra.singh@equitasbank.com

बनाम

1. **मदत अली** पुत्र दौस मोहम्मद, उम्र 50, जाति मुस्लमान, पता वार्ड संख्या–9, 22 पीटीपी–ए (खेरूवाला) खैरूवाला, श्रीगंगानगर, राजस्थान–335064 मोबाईल नम्बर 81075–72685
2. **नजमा** पत्नी मदत अली उम्र 40, जाति मुस्लमान पता वार्ड संख्या–9, 22 पीटपी–ए (खेरूवाला) खैरूवाला, श्रीगंगानगर, राजस्थान–335064 मोबाईल नम्बर 91459–62288

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मदत अली एवं नजमा को ऋण सुविधा के रूप में राशि 5.30/–लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख तीस हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 27.12.2018 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 04.11.2023 तक की बकाया राशि 5,06,042/– थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मदत अली द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 69 (क्षेत्रफल 2867 वर्गफीट/318.555 वर्गगज), ग्राम खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मदत अली एवं नजमा को ऋण सुविधा के रूप में** 5.30/–लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख तीस हजार मात्र) **की स्वीकृति दिनांक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

27.12.2018 प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मदत अली ने अपनी **अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 69 (क्षेत्रफल 2867 वर्गफीट/318.555 वर्गगज), ग्राम खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.10.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी मदत अली द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 69 (क्षेत्रफल 2867 वर्गफीट/318.555 वर्गगज), ग्राम खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा [illegible] के जारी नोटिस 06.11.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार [illegible] 06.11.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 07.11.2023 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मदत अली द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मदत अली **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अपनी सम्पत्ति पट्टा संख्या 69 (क्षेत्रफल 2867 वर्गफीट/318.555 वर्गगज), ग्राम खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:50 IST
Reason: Self Attested

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर